10/5/22 वाद पत्रावली वकील वादी द्वारा
वादिया की ओर से प्राथमिक न्याय बाबत
विद्या का पेश किया / एव वाद विद्या
धारित करने हेतु निर्देश करने
हेतु पेशी में ली गई / वकील वादी
द्वारा पेश Not Press किया /
अतः वाद वादी वकील वादी
द्वारा Not Press होने पर
खारिज किया जाता
है पत्रावली रिकार्ड मे रखी जावे
होकर दाखिल दफ्तर हो। आज्ञा से
आज दि. 1.1.कोड 22/2.22 को मेरे हस्ता किया जाता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.07.05 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर